# फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर

लादी देवी **बनाम** छोटी देवी वगैरह

मु.नं: 17 /2017

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | |
|---|---|---|
| 31.01.2017 | प्रार्थीया की ओर से श्री रामकरण शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थीया के अधिवक्ता को सुना गया।<br>प्रार्थीया के अधिवक्ता ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 79, 181 वाके ग्राम बालकिशनपुरा में स्थित हैं जो प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजियात हैं जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ हैं जिससे प्रार्थीया को अप्रार्थीगण कृषि कार्य व उपयोग उपभोग नहीं करने देते हैं और अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीया को उसके हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग व कृषि कार्य करने में व्यवधान करते हैं जिनका प्रार्थीया के हिस्से की भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं हैं तथा अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं तथा प्रार्थीया को बेकाबिज करना चाहते हैं जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं हैं। अप्रार्थीगण मुतदावियां आराजियात में प्रार्थीया को उसके कब्जें से बेकाबिज कर कब्जा कर बेचान हस्तान्तरण करने व निर्माण करने इत्यादि पर आमादा हैं इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञ से पाबन्द किया जाना न्यायोचित हैं ।<br>प्रार्थीया के अधिवक्ता को एकतरफा सुनने एवं पत्रावली व पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात् का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया सुदृढ़ एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है। इसलिए प्रार्थीया के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करना उचित समझते हैं ।<br>अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण वाके **ग्राम बालकिशनपुरा पटवार हल्का लांगडियावास** तहसील जमवारामगढ में स्थित खसरा नम्बर 79, 181 के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनायें रखें एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। उक्त कार्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करें, ना हीं अपने ऐजेन्ट–सर्वेन्ट परिवारजन् इत्यादि से करवावें। उक्त आदेश पर कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में पेश करें। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार एवं उपपंजियक जमवारामगढ को तहरीर जारी हों। पत्रावली दिनांक 16.03.2017 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हों।<br>(हस्ताक्षर)<br>इन्द्रजीत सिंह<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जमवारामगढ़ | |

# फर्द अहकाम

य ______________________________

______________________________ बनाम ______________________________

: ______________________ / 20 ______________

संख्या / वर्ष

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 29/1/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 30/4/24 को पेश हो। | |
| 30/4/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली को हल्का वार के साथ लिया जाये। पत्रावली दिनांक 27/5/24 को पेश हो। | |
| 27/5/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० पत्रावली हल्का वार के साथ दिनांक 27/6/24 को पेश हो। | |
| 27/6/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुप० वकील प्रार्थी व प्रार्थी को बार-बार आवाज लगवाई गई दोपहर तक इंतजार किया गया लेकिन उप० नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है | |

# फर्द अहकाम

न्यायालय

बनाम

मुकदमा संख्या / वर्ष : /2

| क्र0स0 | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | | पत्रावली फैसलशुदा होकर [illegible] [illegible] हो [illegible] बाद ख़र्च दाखिल दफ्तर हो। |